सिंचित क्षेत्र

4126. श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अब तक राज्य-वार कुल कितने हैक्टेयर भूमि सिंचाई सुविधाओं के अन्तर्गत लायी गयी है;

(ख) उसका राज्य-वार प्रतिशत क्या है और प्रति हेक्टेयर सिंचाई संसाधनों की उपलब्धता कितनी-कितनी है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य को सिंचाई परियोजनाओं के विकास के लिए कितनी-कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी है; और

(घ) क्या कम वर्षा वाले और सूखा प्रवण क्षेत्रों के अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) निवल सिंचित क्षेत्र का राज्यवार एवं स्त्रोतवार ब्यौरा तथा निवल बुआई क्षेत्र के संबंध निवल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत अनुपत्र में दिया गया है।[देखिए परिशिष्ट 184, अनुपत्र सं॰ 104]

(ग) और (घ) सिंचाई क्षेत्र के लिए राज्यों को योजना आबंटन के अलावा, वर्ष 1996-97 से शुरू किए गए "त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रमों" के तहत राज्य सरकारों को केन्द्रीय ऋण सहायता प्रदान की जाती है ताकि कम वर्षापात और सूखा प्रवण क्षेत्रों सहित देश भर में स्थित चुनिंदा चल रही वृहद् और मध्यम सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जा सके जिससे शीघ्र सिंचाई विकास प्राप्त हो सके। वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान राज्यों को इस कार्यक्रम के तहत क्रमश:। 500.00 करोड़ रुपए और 952.19 करोड़ रुपए की केन्द्रीय ऋण सहायता जारी की गई थी। वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता का राज्यवार ब्यौरा अनुपत्र में दिया गया है। [देखिए परिशिष्ट 184, अनुक्रम सं॰ 104]

12 Noon

PAPERS LAID ON THE TABLE

Report of the Comptroller and Auditor General of India

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI RAMESH BAIS). Sir, On behalf of SHRI NAVEEN PATNAIK, I lay on the Table, under clause (1) of article 151 of the Constitution a copy (in English and Hindi) of the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 1997 (No. 5 of1998)—Union Government (Commercial) Hindustan Copper Limited. [Placed in Library. See No. LT 1334/98]

Memoranda of (1998-99) Understanding between Govt. of India and Nuclear Power Corporation of India Ltd, Uranium Corporation of India Ltd, Electronics Corporation of India Ltd. and Indian Rare Earths Ltd.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI VASUNDHRA RAJE). Sir, I lay on the copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(i) Memorandum of understanding between the Government of India (Department of Atomic Energy) and Nuclear Power Corporation of India Limited, for the year 1998-99. [Placed in Library. See No. LT 1314/98]

(ii) Memorandum of Understanding between the Government of India (Department of Atomic Energy) and Uranium Corporation of India Limited, for the year 1998-99. [Placed in Library. See No. LT 1315/98]

(iii) Memorandum of Understanding between the Government of India (Department of Atomic Energy) and Electronics Corporation of India Limited for the year 1998-99. [Placed in Library. See No. LT 1316/98]

(iv) Memorandum of Understanding between the Government of India (Department of Atomic Energy) and Indian Rare Earths Limited for the year 1998-99. [Placed in Library. See No. LT 1317/98]

I. Reports and Account (1988-99) of the Orissa Agro Industries Corporation Ltd. Bhubaneswar and related paper.

II. Report and Accounts (1995-96) of the Madhya Pradesh State Agro Industries Development Corporation Limited, Bhopal and related papers.

III. Report and Accounts (1995-96) of the Rajasthan State Agro Industries Corporation Limited, Jaipur and related Papers.

IV. Report and Accounts (1996-97) of the Haryana Agro Industries Corporation Limited, Chandigarh and related papers.

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) महोदय निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ:-

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):-

I. (i) (क) 1988-89 के वर्ष के लिए उड़ीसा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर का सत्ताइसवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उपर्युक्त कारपोरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गई 1 **देखिए संख्या एल टी. 1318/98]**

(ii) (क) 1989-90 के वर्ष के लिए उड़ीसा एग्रो इंडस्ट्रीज कारॅपोरेशन लिमिटेड, भुवनेशवर का 28वां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उपर्युक्त कॉरपोरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गई 1 देखिए संख्या एल.टी. 1319/98]

(iii) (क) 1990-91 के वर्ष के लिए उड़ीसा एग्रो इंडस्ट्रीज कारॅपोरेशन लिमिटेड, भुवनेशवर का 29वां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उपर्युक्त कॉरपोरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गई 1 देखिए संख्या एल.टी. 1320/98]

(II) (क) 1995-96 के वर्ष के लिए राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कारॅपोरेशन लिमिटेड, जयपुर का 27वां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उपर्युक्त कॉरपोरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गई 1 देखिए संख्या एल.टी. 1323/98]

(III) (क) 1995-96 के वर्ष के लिए राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कारॅपोरेशन लिमिटेड, जयपुर का 27वां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उपर्युक्त कॉरपोरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गई 1 देखिए संख्या एल.टी. 1321/98]

(IV) (क) 1996-97 के वर्ष के लिए हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कारॅपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ का वां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उपर्युक्त कॉरपोरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गई 1 देखिए संख्या एल.टी. 1322/98]

ऊपर उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाले विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)

I. Report and Accounts (1996-97) of the CMC Limited, Hyderabad and related papers.

II. Report and Accounts (1996-97) of the Semiconductor Complex Limited, S.A.S. Nagar (Punjab and related papers.

III. Notifications of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI R. JANARTHANAM) Sir, I lay on the Table a copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:—

I. (a) Twenty-first Annual Report and Accounts of the CMC Limited, Hyderabad, for the year 1996-97, together with the Auditors' Report on the Accounts and the comments of the